

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 126 : General disciplines related to penalty

- (1) No officer under this Act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulations or procedural requirements and in particular, any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence.

Explanation.—For the purpose of this sub-section,—

- (a) a breach shall be considered a ‘minor breach’ if the amount of tax involved is less than five thousand rupees;
- (b) an omission or mistake in documentation shall be considered to be easily rectifiable if the same is an error apparent on the face of record.
- (2) The penalty imposed under this Act shall depend on the facts and circumstances of each case and shall be commensurate with the degree and severity of the breach.
- (3) No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard.
- (4) The officer under this Act shall while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and the applicable law, regulation or procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified.
- (5) When a person voluntarily discloses to an officer under this Act the circumstances of a breach of the tax law, regulation or procedural requirement prior to the discovery of the breach by the officer under this Act, the proper officer may consider this fact as a mitigating factor when quantifying a penalty for that person.
- (6) The provisions of this section shall not apply in such cases where the penalty specified under this Act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage.
-

धारा 126 : शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन

- (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, कर विनियमों या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के लघु भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में किसी ऐसे लोप या गलती, जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा जो कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—
- (क) यदि किसी भंग में पांच हजार रुपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह "छोटा भंग" माना जाएगा;
- (ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी यदि वह अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति प्रत्येक मामले के तथ्यों पर और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की डिग्री और गंभीरता के अनुपात में होगी।
- (3) किसी व्यक्ति पर उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।
- (4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के लिए किसी आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट की गई है।
- (5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है, तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य को न्यूनकारी घटक के रूप में विचार में ले सकेगा।
- (6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई है।